श्री राजनारायण मैं आपके जरिये श्री मोरारजी भाई से कहना चाहता हूं जो गांधीजी को सत्य और अहिंसा का व्रत को बराबर मानते हैं।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, when you have asked him to sit down, he should not continue like this. All this should not go on the records.

श्री राजनारायण तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार सदन में कुछ कहती है और सदन के बाहर कुछ कहती है तथा कोर्ट में कुछ कहती है।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, you please order that what he has said should all be expunged.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, you have stated your point. Now sit down. No more. I have given you sufficient accommodation and you have stated your point. Next Mr. Bhandari.

REFERENCE TO DISPUTE BETWEEN HARYANA AND U.P. ON WATER SUPPLY

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान). सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान एक समाचार जो आज छपा है उस चिन्ताजनक समाचार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हरियाणा राज्य के कुछ इंजीनियरों ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में घुसकर, उत्तर प्रदेश में घुसकर, उनकी जो नहर है गुड़गांवा नहर, जिस का हैडवर्क्स उत्तर प्रदेश की सीमा में है वहां पर उन्होंने आर्म्ड पुलिस की मदद से जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है। दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पानी के संबंध में पहले से एक समझौता तय हुआ है। उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के इंजीनियर उतना पानी हरियाणा के इलाके में छोड़ा करते थे। उन्होंने जबर्दस्ती उस इलाके में घुसकर उस हैडवर्क्स पर कब्जा कर लिया है और दुगना पानी छोड़ने लगे हैं। इस नहर को नवें मील और पन्द्रहवें मील से काटकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हरियाणा के इस इलाके में पानी देना शुरू किया है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश आज दोनों के दोनों केन्द्रीय शासन के अधीन हैं। इसलिए पहली बात जिसकी तरफ मैं उप-प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब केन्द्रीय शासन को इन दोनों प्रांतों के लिए सीधी जिम्मेदारी है तो हरियाणा राज्य के अधिकारियों को पुलिस की मदद से इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही करने का साहस कैसे हुआ। क्या केन्द्र के द्वारा उन्हें इस प्रकार की इजाजत दी गई है? यह इस सन्दर्भ में और भी अधिक चिन्ताजनक है क्योंकि हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। चार दिन बाद ही हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और इस कारण इस इलाके में इस तरह से जबर्दस्ती तथा गैर-कानूनी तौर पर नहर का पानी निकाल कर खेतों में देकर एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव की दृष्टि से इसका नाजायज फायदा उठाना चाहती है। इस खबर के आने के बाद केन्द्र की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो केन्द्र में बैठी हुई कांग्रेसी सरकार इस तरह से चुनाव के मौके पर इस तरह की घटना पैदा न करे और लोगों को वोटिंग के लिए इन्टीमीडेट न करे। मैं चाहूंगा उप-प्रधान मंत्री जी से कि जो सरकारी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें और तत्काल इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो गैर कानूनी पानी पहुंचाकर उसका प्रचारात्मक उपयोग किया जा रहा है उस इलाके में उसको रोकने के लिए फौरन कदम उठाये जायं। इसके बारे में वक्तव्य भी दिया जाना चाहिये।

MR. CHAIRMAN: You have now mentioned what you wanted to mention. Now Mr. Abid Ali.

SHRI A. P. JAIN (Uttar Pradesh): Sir, I also noticed this news item and I must say that I was greatly perturbed. I . . .

MR. CHAIRMAN: I am sorry. I had permitted him to mention it. I have made a rule that when I give permission to a Member to raise a certain matter he can raise it and then I do not allow any other Member to rise and speak on it.

SHRI A. P. JAIN: Sir, I have given notice of a motion calling attention to this matter and . . .

MR. CHAIRMAN: I shall look into it.

SHRI A. P. JAIN: I am rising on a point of procedure, Sir, there is a method of raising such matters and that method is to give notice calling attention to the particular matter. I have already given a calling attention notice and . . .

MR. CHAIRMAN: Yes. I say I shall look into it. Now Mr. Abid Ali.

RE ALLEGED BREACH OF PRIVILEGE BY SHRI A. P. CHATTERJEE

SHRI ABID ALI (Maharashtra): Sir, yesterday while speaking on the Finance Bill, Shri A. P. Chatterjee made certain statements about which I have to say something in order to invite your attention for you to take appropriate action.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, आपने श्री भंडारी जी का प्वाइन्ट सुन लिया और उस पर फैसला नहीं दिया।

MR. CHAIRMAN: Nothing more, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : मैं आपसे कहता हूं कि जो कालिंग अटेन्शन है उसका क्या होगा?

SHRI ABID ALI: Sir, the hon. Member should sit down. I have been called by you, Sir, and I am on my legs.

MR. CHAIRMAN: Please sit down, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : मैं हिसार से आ रहा हूं। (*Interruptions.*) हमने भी इस संबंध में कालिंग अटेन्शन नोटिस दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं. . . .

MR. CHAIRMAN: Mr. Rajnarain, nothing more. You sit down.

SHRI RAJNARAIN: Why?

क्यों बैठ जाऊं ?

MR. CHAIRMAN: I have asked Mr. Abid Ali to speak.

श्री राजनारायण : हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस तरह से हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का पक्ष नहीं लिया जा सकता है। आज कांग्रेस रूल के जरिये वहां पर चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

AN HON. MEMBER: When the Chair is on its feet the Member should sit down.

श्री राजनारायण : सारी की सारी संसदीय मर्यादा भं. नहीं की जा सकती है।

MR. CHAIRMAN: Sit down Mr. Rajnarain. I will not allow you. When I stand you cannot stand up Please sit down.

SHRI RAJNARAIN: Point of order . . .

MR. CHAIRMAN: I would like to tell you when the Chairman is standing you should sit down. Now, Mr. Abid Ali.